ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-०१, सैक्टर- नॉलेज पार्क -०४
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला-गौतमबुद्ध नगर ।

पत्रांकः –ग्रे0नौ0/संस्था./2020/1062
दिनांकः– 29 फरवरी, 2020

कार्यालय आदेश

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की 117वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 10 फरवरी 2020 में ऐसे प्रकरण जिनका आवॅटन 31 दिसम्बर 2011 तक का है तथा उन्हे पर्याप्त समय विस्तार दिया जा चुका है, अतः मात्र उन आवॅटियों को समय विस्तार दिये जाने पर विचार किया गया जिनका निर्माण कार्य प्रगति पर है अथवा जो 31.03.2020 तक मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन कर एवं दिनॉक 31.12.2021 तक कार्यपूर्ति हेतु आवेदन कर सकें। अतः प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनॉक 10फरवरी 2020 के मद संख्या 117/14 में निम्नानुसार निर्णय लिया गया हैः–

लीज डीड विलम्ब शुल्क

संचालक मण्डल द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव अनुमोदित किया गया :–

1. संचालक मण्डल द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित 12 प्रकरणों में से जिनकी चेक लिस्ट समयान्तर्गत जारी की गई तथा उनके द्वारा दिनॉक 31.12.2014 तक पटटा प्रलेख नही किया गया है उनको निरस्त करने के आदेश दिये गये।
2. उक्त 12 प्रकरणों में से जिनकी चेक लिस्ट दिनॉक 31.12.2014 के पश्चात जारी की गई उन 02 प्रकरणो में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में जो कार्यवाही अपेक्षित है,तदनुसार उनमें कार्यवाही की जाए।
3. 123 प्रकरणों में लीज प्लान प्राथमिकता के आधार पर संस्थागत विभाग को उपलब्ध कराने हेतु महाप्रबन्धक (परियोजना) को निर्देश दिये गये। इनमें समय देना बाध्यता है। क्योकि विलम्ब प्राधिकरण स्तर पर हुआ है।

उपरोक्त प्रकरणो के अतिरिक्त लीज डीड विलम्ब शुल्क का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता हैः–

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 99वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 12.08.2014 में संस्थागत परिसम्पत्तियों के लीजडीड निष्पादन हेतु समयवृद्वि के सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्धारण किया गया था :–

1. लीजडीड के निष्पादन की निर्धारित तिथि से एक माह तक निशुल्क।
2. लीज डीड की निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रथम एक वर्ष का समय विस्तरण वार्षिक लीजरेन्ट के बराबर धनराशि के, जो 12 माह के अनुसार अनुपातिक रूप से प्रति माह देय विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. द्वितीय एक वर्ष का समय विस्तरण वार्षिक लीजरेन्ट के डेढ गुना के बराबर देय विलम्ब शुल्क देय होगा।
4. उक्त द्वितीय वर्ष का समय विस्तरण के उपरान्त दिनॉक 30.06.2011 तक का समय विस्तरण भूखण्ड की कुल कीमत का एक प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा
5. ऐसे समस्त प्रकरण जिनकी उक्त निर्धारित विलम्ब शुल्क सहित अधिकतम समय अवधि समाप्त हो चुकी है, ऐसे आवॅटियों को दिनॉक 31.12.2014 तक का समय विस्तरण वर्तमान में प्रचलित दर से कुल प्रीमियम का 1 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

उक्त अवधि के उपरान्त आगामी वर्ष 31.12.2020 तक आवॅटन दर का 1 प्रतिशत प्रतिमाह के आधार पर लीज डीड विलम्ब शुल्क लेते हुए लीज डीड निष्पादन की कार्यवाही की जाएगी।

भवन मानचित्र स्वीकृति आवेदन विलम्ब शुल्क

1. पूर्व में जारी मानचित्र स्वीकृति हेतु निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2019 के उपरान्त दिनॉक 01 फरवरी 2019 से 31 दिसम्बर 2019 तक की अवधि हेतु वर्तमान प्रचलित दर का एकमुश्त 01 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ मानचित्र आवेदन किये जाने हेतु समय विस्तरण अनुमन्य होगा।
2. दिनॉक 01 जनवरी 2020 से 31.03.2020 तक वर्तमान प्रचलित दर का एकमुश्त 03 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के साथ मानचित्र आवेदन किये जाने हेतु समय विस्तरण अनुमन्य होगा।

उपरोक्त समय विस्तरण तभी अनुमन्य होगा जब आवॅटी द्वारा प्राधिकरण की समस्त प्रकार की देयताओं का भुगतान कर दिया गया हो। इसके साथ ही नियोजन विभाग भी उक्त की पुष्टि करेगा की उक्त मानचित्र स्वीकृति हेतु समयविस्तरण विलम्ब शुल्क जमा करा दिया गया हो। उक्त अवधि के उपरान्त किसी भी प्रकार का समय विस्तरण वर्ष 2011 तक हुए आवॅटनो में प्रदान नही किया जाएगा तथा भूखण्ड के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जाएगी।

भवन निर्माण विलम्ब शुल्क

दिनॉक 31.12.2011 से पूर्व के आवॅटनों हेतु निम्नानुसार भवन निमार्ण हेतु अन्तिम समय विस्तरण प्रदान किया जाता है :–

1. लीज डीड की तिथि के उपरान्त प्रथम 03 वर्ष तक कोई विलम्ब शुल्क पूर्व व्यवस्था की भॉति नहीं लिया जाएगा।
2. उक्त निशुल्क 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त आगामी 03 वर्ष के लिए कुल प्रीमियम का 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।
3. उक्त 03 वर्ष के पश्चात आगामी एक वर्ष तक का समय विस्तरण भूखण्ड की कुल प्रीमियम का 1 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।
4. उक्त एक वर्ष के उपरान्त आगामी एक वर्ष तक का समय विस्तरण भूखण्ड की कुल प्रीमियम का 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।
5. उक्त के पश्चात आगामी एक वर्ष तक का समय विस्तरण भूखण्ड की कुल प्रीमियम का 2 प्रतिशत प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा।

उपरोक्त विलम्ब शुल्क के उपरान्त 2 प्रतिशत प्रतिमाह भवन निर्माण विलम्ब शुल्क देय होगा जो कि अधिकतम 31.12.2021 तक ही होगा।

नियोजन विभाग को निर्देशित किया जाता है कि कोई आवॅटी यदि भवन का मानचित्र स्वीकृत कराने के लिए आवेदन करता है तो उस पर डिफाल्टर, मानचित्र स्वीकृति हेतु समय विस्तरण शुल्क जमा की स्थिति ज्ञात करने के उपरान्त ही मानचित्र स्वीकृत करें एवं मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त इस आशय की सूचना निश्चित रूप से संस्थागत विभाग को अवश्य प्रेषित करें।

(दीप चन्द्र)
अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफीसर को, मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) को अवलोकनार्थ।
3. महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ।
4. उप महाप्रबन्धक (संस्थागत) को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्रभारी नियोजन को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. गार्ड फाईल।

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी